सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 07 जून, 2013 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 07 जून, 2013 को पूर्वान्ह् 10.30 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1.	डा0 हरि शंकर गौड, कुलपति,	अध्यक्ष
2.	श्री प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
3.	श्रीमती भारती शर्मा, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
4.	डा0 राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 2.1: वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11 मार्च, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 11 मार्च, 2013 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 2.2: वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11 मार्च, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को सम्पन्न प्रथम बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2.3 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाना।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर धनराशि रू0 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक शिक्षण मद से कराने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

7/6/13

विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से कराने की संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः विभागाध्यक्ष, उद्यान/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 2.4 पशुधन अनुसंधान केन्द्र से कर्मचारियों को विक्रय किये जाने वाले गाय और भैंस के दूध के विक्रय मूल्यों में कमी किये जाने का प्रस्ताव

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं सहायक निदेशक, पशुधन अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रस्तुत माह–जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2013 तक आय–व्यय के आंकड़ों का अवलोकन किया गया, जिसमें इस अवधि के दौरान धनराशि रू0 8.83 लाख की आय के सापेक्ष धनराशि रू0 12.82 लाख व्यय किया जाना बताया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा पशुधन अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्ध में समिति गठित करते हुए अपेक्षा की गयी कि घाटा होने के कारणों की विस्तृत जांच कराते हुए वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त केन्द्र के Unproductive जानवरों को बेचने पर विचार किया जाये तथा विश्वविद्यालय प्रक्षेत्रों से भूसा और हरा चारा आदि प्राप्त किया जाये। यह भी संस्तुति की गयी कि विश्वविद्यालय के समस्त प्रक्षेत्रों से प्राप्त छानस का प्रयोग करते हुए पशुधन अनुसंधान केन्द्र पर ही पशुओं को खिलाने का दाना बनाया जाये। इस प्रकार के उपायों से दुग्ध उत्पादन की लागत कम तथा मात्रा बढ़ाकर घाटा कम किया जाए, जिसका लाभ कर्मचारियों को दिया जा सके।

उपरोक्तानुसार कार्रवाई सम्पादित कराते हुए वित्त समिति की आगामी बैठक में समस्त तथ्यों के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

प्रस्ताव संख्या 2.5 सहारनपुर नगर को बी–2 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए वहाँ के राजकीय कर्मचारियों को बी–2 श्रेणी का निर्धारित मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया जाना।

वित्त समिति द्वारा शासनादेश विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग–1, लखनऊ के पत्र संख्या–जी–1– 701/दस–2011–228/2008 टी0सी0–1 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के अनुपालन में

7/6/13

सहारनपुर नगर को बी–2 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मचारियों को भी बी–2 श्रेणी का निर्धारित मकान किराया भत्ता दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से अनुमन्य करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः निदेशक प्रसार)

प्रस्ताव संख्या 2.6 कृषि विज्ञान केन्द्रों के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कन्डम 08 मोटर साईकिल, 03 ट्रेक्टर तथा 04 जीप सहित कुल 15 वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने की सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाये।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी पूल/निदेशक प्रसार)

प्रस्ताव संख्या 2.7 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनाँक 08 सितम्बर, 2010 से उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के शासनादेश सं0–605/67–कृशिअ–11–500(3)/11 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 द्वारा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–27/दस–59(एम)/2009 दिनांक 06 जनवरी, 2011 में निर्गत निर्देशों/स्वीकृत व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में भी लागू कर दी गयी है।

विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भांति उच्चीकृत वेतनमान का लाभ अनुमन्य करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव/निदेशक प्रसार/वित्त नियन्त्रक)

7/6/13

प्रस्ताव संख्या 2.8 विश्वविद्यालय में ठेके के आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में ठेके के आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों की मजदूरी रू0 160 से रू0 200 तथा रू0 120 से रू0 150 प्रतिदिन करने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श करने के उपरान्त संस्तुति की गयी कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित मानव दिवस निर्धारण समिति से विभिन्न महाविद्यालयों, कार्यालयों, केन्द्रों एवं प्रक्षेत्रों पर उक्त श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण संकलित करते हुए उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों को सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाये तथा उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये।

(कार्रवाईः कुलसचिव, अध्यक्ष मानव दिवस समिति)

प्रस्ताव संख्या 2.9 संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (CATET) का आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2013–14

आगामी वर्ष 2014–15 शिक्षण सत्र हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (CATET) के वित्तीय वर्ष 2013–14 आय–व्ययक को अनुमोदित किया गया

(कार्रवाईः कुलसचिव / वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 2.10 कार्यालय प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित प्रस्तरों का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया गया कि तीन माह के अन्दर पूर्व में नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। उक्त अवधि के दौरान प्रस्तरों का निस्तारण न कराने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाईः समस्त निदेशक / अधिष्ठाता / नोडल अधिकारी / वित्त नियंत्रक)

7/6/13

प्रस्ताव संख्या 2.11 विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए लेखांकन प्रक्रिया का समस्त कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर सम्पादित कराया जाना।

विश्वविद्यालय में लेखांकन प्रक्रिया की दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए केवल एक वर्ष के लिए कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि कार्य अनुबन्ध पर धनराशि रू0 30,000/- प्रति माह की अधिकतम सीमा तक व्यय किया जायेगा तथा लेखा अनुभाग के समस्त कार्मिकों को उक्त कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए दोहरी लेखा प्रणाली में दक्ष बनाया जायेगा।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 2.12 विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान केन्द्र पर गोबर गैस प्लांट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान केन्द्र पर गोबर गैस प्लांट स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय हित में आवश्यक बताते हुए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए संस्तुति की गयी कि गोबर गैस प्लांट की तकनीकी विशिष्टियाँ निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी समिति गठित की जाये तथा विश्वविद्यालय क्रय नियमों के अनुसार टेण्डर के माध्यम से गोबर गैस प्लांट की स्थापना करायी जाये।

(कार्रवाईः निदेशक प्रसार)

प्रस्ताव संख्या 2.13 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं की शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय पुस्कालय, आडीटोरियम, खेल-कूद सुविधाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम, विश्वविद्यालय परिसर में मार्गों का सुदृढीकरण, शापिंग काम्पलैक्स, चिकित्सालय, दांतल प्रक्षेत्र पर बाउंड्रीवाल और 33/11 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन एवं बाह्य विद्युतीकरण के कार्य के प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्तुति की गयी कि उक्त परियोजनाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति से आवश्यकता के आधार पर परीक्षण करते हुए विस्तृत प्रस्ताव उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलसचिव/नोडल अधिकारी (निर्माण))

7/6/13

प्रस्ताव संख्या 2.14 विश्वविद्यालय चिकित्सालय के अंशकालिक चिकित्साधिकारी के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय के अंशकालिक चिकित्सक का मानदेय दिनांक 01 जून, 2013 से धनराशि रू0 25000/- प्रति माह के स्थान पर धनराशि रू0 30000/- प्रति माह करने के प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी चिकित्सालय/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 2.15 राज्य विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबन्धन के लिए लघु दिग्दर्शिका-2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि का प्रस्ताव।

आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में निजी कम्पनियों के द्वारा निर्मित कृषि संबंधी उत्पादों के विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण करने के लिये दर निर्धारित करने के निम्न प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि समस्त राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की दरों में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ से भी सहमति प्राप्त कर ली जाये।

क्र0 सं0	**विवरण**	**धनराशि लाख में**
1	सामान्य उत्पाद जैसे प्रजाति आदि का मूल्यांकन के लिए दो वर्ष के परीक्षण हेतु	रू0 5.0 लाख
2	संकर प्रजातियाँ के दो वर्षीय परीक्षण हेतु	रू0 7.0 लाख प्रति संकर
3	कृषि रसायनों के दो वर्षीय परीक्षण हेतु	रू0 7.0 लाख प्रति रसायन

(कार्रवाईः निदेशक अनुसंधान केन्द्र/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्याः 2.16 **उ0प्र0 सचिवालय के इतर अधीनस्त राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी, नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षित दरों को लागू किया जाना।**

लघु उद्योग अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1651/18–2–12–47(एस0पी0)/10 दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के अनुसार उ0प्र0 सचिवालय के इतर अधीनस्त राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी, नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण दरों को इस विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालकों हेतु धनराशि रू0 8,000/– प्रति वर्ष व्यय भार के प्रस्ताव को लागू करने की संस्तुति की गयी।

7/6/13

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष